भारत सरकार
मनव एवं मानव संसाधन मंत्रालय
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
संख्याः डी0ओ0 9–1/2003–सी0डब्लू दिनांकः 09 मई, 2003.

(हिन्दी अनुवाद)

बाल कल्याण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार योजना

1. भारत की जनगणना 1981 के अनुसार देश में 0–14 वर्ष आयुवर्ग में 272 मिलीयन जनसंख्या थी, यह कुल जनसंख्या का 39.7 प्रतिशत था।

2. देश में बालकों की जनसंख्या का बाहुल्य तथा 37.4 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे होना, इस ओर इंगित करता है कि बालकों के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों की आवश्यकता है। वर्ष 1979 को अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मनाने की महत्ता भी इससे स्पष्ट होती है।

3. संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1979 को अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष घोषित किया था। 21 दिसम्बर सन् 1976 को संयुक्त राष्ट्र आमसभा की घोषणा में अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के लक्ष्य निम्नानुसार बताये गये थेः–

(अ) बालकों हेतु समर्थन प्राप्त करने के लिये एक व्यवस्था स्थापित करना, नीति निर्माताओं एवं जनसामान्य में बालकों की विशेष आवश्यकताओं के प्रति जागृति पैदा करना।

(ब) इस तथ्य की पहचान पर बल देना कि दीर्घ एवं लघु दोनों अवधियों में राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर, बालकों के विकास की प्राप्ति के कार्यक्रम, समस्त आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन के अभिन्न अंग होने चाहिये।

4. बाल विकास के मुद्दों के समर्थन एवं वर्ष 1979 को अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष घोषित कराने से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों के प्रोत्साहन में भारत अग्रणीय राष्ट्रों में रहा है। बाल मुद्दों का समर्थन एवं बाल कल्याण के कार्यक्रमों पर उत्तरोत्तर बल देने की गतिविधि वर्ष 1979 तक ही सीमित नहीं रही है। वरन् अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष ने विस्तृत पक्षों के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने तथा बाल मुद्दों पर राष्ट्र में जागृति बढ़ाने का कार्य किया है।

5. बालकों के कल्याण को प्रोत्साहित करने के समस्त प्रयासों में स्वैच्छिक कार्यों का विशिष्ट स्थान है। कई स्वैच्छिक संगठन इस ओर प्रयासरत् हैं। स्वैच्छिक कार्यों की विविधतायें तथा महत्व समय के साथ बढ़ना अपेक्षित है।

6. बाल विकास के स्वैच्छिक प्रयासों को राजकीय पहचान देने के क्रम में वर्ष 1979 में बाल कल्याण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारम्भ किया गया।

7. समय समय पर संशोधित की गयी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वर्तमान में निम्न पुरस्कार सम्मिलित हैः–

(1) बाल मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले तीन व्यक्तियों को पुरस्कार ।

(2) बाल कल्याण की किसी शाखा में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली पाँच संस्थायें।

पुरस्कार के प्रकार:

8. एक वर्ष में बाल मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अलग अलग पुरस्कार दिये जायेंगे। एक ही वर्ग में, एक व्यक्ति तथा उससे जुड़ी संस्था, दोनों को पुरस्कृत करने पर कोई रोक नहीं होगी।

पुरस्कार की प्रकृति:–

9. प्रत्येक व्यक्ति हेतु पुरस्कार में सम्मिलित होगा:

(1) रूपये एक लाख का नगद पुरस्कार।

(2) प्रमाण पत्र।

10. प्रत्येक संस्था हेतु पुरस्कार में सम्मिलित होगा:

(1) रूपये तीन लाख का नगद पुरस्कार।

(2) प्रमाण पत्र।

चयन की प्रकिया:

11. प्रारम्भिक चयन, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के व्यक्तियों एवं संस्थाओं के मध्य से राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित चयन समिति के माध्यम से किये जायेंगे। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के विवेक पर चयन समिति की संरचना निर्भर होगी। राष्ट्रीय चयन समिति की संरचना के अनुरूप राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश अपने लिये चयन समिति निर्धारित कर सकते हैं।

12. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश स्तरीय चयन समिति इस निमित्त समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप चयन की कार्यवाही करेगी।

13. अंतिम चयन राष्ट्रीय समिति द्वारा किये जायेंगे। राष्ट्रीय चयन समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे:–

अध्यक्ष

(1) माननीय राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय।

- सदस्य
  - (2) सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
  - (3) शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि।
  - (4) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का एक प्रतिनिधि।
  - (5) सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।
  - (6) अध्यक्ष, भारतीय बाल कल्याण परिषद।
  - (7) अध्यक्ष, इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियेट्रिक्स।
- सदस्य– सचिव
  - (8) संयुक्त सचिव ,महिला एवं बाल विकास विभाग।

14. प्रत्येक राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश अपनी संस्तुति 31 जुलाई तक प्रतिवर्ष महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार को भेजेंगें। संस्तुत संस्थाओं का विवरण

संलग्न प्रारूप–ए के अनुसार तथा व्यक्तियों का विवरण संलग्न प्रारूप–बी के अनुसार होना चाहिये । 31 जुलाई के उपरान्त प्राप्त संस्तुतियों पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की संस्तुतियों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय चयन समिति अपने विशेषाधिकार पर, अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं को भी पुरस्कार हेतु विचारार्थ रख सकती है।

संस्थाओं के चयन हेतु मापदण्ड

16. संस्थायें सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्तपोषित नहीं होनी चाहिये। सरकार से अनुदान प्राप्त अथवा सहायतित संस्था चयन हेतु सम्मिलित की जा सकती है। संस्था बाल कल्याण के क्षेत्र में कुछ वर्षों से कार्यरत रही हो तथा अभिलेखों के अनुसार क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो। संस्थाओं की स्वतंत्र रूप से कार्यरत इकाई/शाखा भी पुरस्कार हेतु चयन के लिये अर्ह होंगी। चयन का मूलभूत आधार संस्था द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता तथा लाभान्वित बालकों की संख्या होगी।

व्यक्तियों के चयन हेतु मापदण्ड

17. पुरस्कार हेतु चयनित व्यक्ति बाल कल्याण के क्षेत्र में कुछ वर्षों से कार्यरत होने चाहिये। संस्थाओं के वेतनभोगी अधिकारी चयन हेतु अर्ह नहीं होंगे। चयन का मूलभूत आधार बालकों से जुड़े मुद्दों पर नामित व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता तथा उसका महत्व ही होगा।

पुरस्कार की तिथि

18. प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस–14 नवम्बर– को यह पुरस्कार घोषित किये जायेंगे तथा नयी दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति की सुविधानुसार तिथि तथा समय पर, वितरित किये जायेंगे।

पुरस्कार वितरण की प्रकिया:

19. चयनित व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार प्राप्त किये जायेंगे तथा चयनित संस्थाओं के प्रतिनिधि पुरस्कार प्राप्त करेंगे। उनके द्वारा व्यय किया गया यात्रा एवं दैनिक भत्ता का भुगतान, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।

प्रारूप–ए
बाल कल्याण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार
पुरस्कार के लिये नामित संस्था का विवरण

1. वर्ष
2. (1) नाम:
   (2) पता:
   (3) टेलीग्राफिक पता:
   (4) दूरभाष संख्या (एस0टी0डी0 कोड सहित):
   (5) सन्दर्भ व्यक्ति का नाम एवं पदनाम:
3. संस्था का स्थापना वर्ष:
4. संस्था द्वारा संचालित गतिविधियों का क्षेत्र एवं कार्य की प्रकृति :
5. संस्था के कार्यों का विवरण, जिसमें संस्था द्वारा आच्छादित भौगोलिक क्षेत्रों एवं लाभान्वित बच्चों की संख्या दी जाय:
6. संस्था के कार्य का गुणात्मक आंकलन:
7. क्या संस्था ने केन्द्र/राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त किया है, यदि हाँ तो विगत तीन वर्षों का विवरण :
8. क्या संस्था में किसी केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विगत समय में भ्रमण किया गया है, यदि हाँ तो भ्रमणकर्ता अधिकारी की टिप्पणी :
9. राज्य सरकार के किसी अधिकारी की अद्यतन निरीक्षण रिपोर्ट :
10. विस्तृत टिप्पणी:

नोट: मेमोरेन्डम/आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन, गत दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट एवं सम्बन्धित अभिलेख संलग्न किये जायें।

प्रारूप–बी

बाल कल्याण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

पुरस्कार के लिये नामित व्यक्ति का विवरण

1. नाम तथा पता (दूरभाष सहित):
2. जन्मतिथि:
3. जन्मस्थान:
4. संस्तुतकर्ता का विवरण:
5. व्यक्ति से जुड़ी संस्था का विवरण तथा सम्बन्ध की प्रकृति:
6. गतिविधियों का क्षेत्र:
7. व्यक्ति के कार्यों का विवरण, जिसमें व्यक्ति की गतिविधियों एवं उनसे सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रों तथा लाभान्वित बच्चों की संख्या दी जाय:
8. व्यक्ति का कार्य निष्पादन किस प्रकार उत्कृष्ट आंका गया है:
9. व्यक्ति से सम्बन्धित संस्था द्वारा जुटाया गया धन :
   (अ.) केन्द्र सरकार से
   (ब.) राज्य सरकार से
   (स.) अन्य श्रोतों से
10. व्यक्ति द्वारा समुदाय से जुटायी गयी धनराशि का विवरण (वर्षवार):
11. व्यक्ति के कार्यों पर राज्य सरकार के किसी अधिकारी की रिपोर्ट:
12. विस्तृत टिप्पणी, व्यक्ति के संक्षिप्त जीवनवृत्त सहित: